

क्रमांक : प. 2(2)वित्त/पेंशन/2020

जयपुर, दिनांक:-

12 APR 2022

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर।


विषय:- जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाये जाने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक प. निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21/3694-के दिनांक
01.04.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम^{में} निर्देशानुसार निवेदन है कि बिना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये, पेंशनर्स को पेंशन वितरित किये जाने की अवधि दिनांक 30.11.2022 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग से बारकोड संख्या 592200079 दिनांक 08.04.2022 पर प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव